कार्यालय : गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक : 34 /अभि0अनु0/गो0वि0प्रा0/2025–26 दिनांक : 05/01/2026

(ई–निविदा नीलामी सूचना)

उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनपद–गोरखपुर में प्रस्तावित एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के निर्माण एवं मौद्रीकरण हेतु चिन्हित भूमि नलकूप परिसर/सिंचाई विभाग कार्यालय, श्रम विभाग कार्यालय एवं रोजगार कार्यालय परिसर में स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु दिनांक 17.01.2026 को 11.30 बजे से ई–नीलामी की जानी है, जिसके क्रम में दिनांक 16.01.2026 के अपरान्ह 4.30 बजे तक ई–नीलामी हेतु आनलाईन आवेदन किया जायेगा, तथा दिनांक 17.01.2026 के पूर्वान्ह 11.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक ई–नीलामी की जायेगी। सम्बन्धित ई–नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/जानकारी प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.30 से अपरान्ह 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता।

कार्यालय : गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक : 34 /अभि0अनु0/गो0वि0प्रा0/2025–26 दिनांक : 05/01/2026

(ई–निविदा नीलामी सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण कार्य कराया जाना है, उस स्थल पर विद्यमान आवासीय एवं अनावासीय भवनों आदि का ध्वस्तीकरण कराकर कार्य स्थल से समस्त सामान हटाकर स्थल को समतल एवं साफ किये जाने हेतु इच्छुक नीलामीदाता/ठेकेदार gdagkp.in के E-Auction द्वारा दिनांक 17/01/2026 को पूर्वान्ह 11.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक आनलाईन ई–नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है। ई–नीलामी के समय समाप्ति के पश्चात् 5 मिनट के आटो एक्टेशन का प्राविधान है। ई–नीलामी सम्बन्धी प्रपत्र दिनांक 06/01/2026 से वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा दिनांक 06/01/2026 से दिनांक 16/01/2026 तक, पूर्वान्ह 11.30 बजे से अपरान्ह 4.30 बजे तक कार्यालय में कैशियर से प्राप्त किया जा सकता है। ई–नीलामी सम्बन्धी सामग्री एवं लाट का विवरण निम्नवत् है।

लाट सं0	ध्वस्तीकरण हेतु भवन का विवरण	नीलामी हेतु न्यूनतम लागत (रू0 लाख में)	जमानत धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य (रू0 में) (जी0एस0टी0 सहित)	नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र व्यक्ति	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नलकूप परिसर/ सिंचाई विभाग कार्यालय की भूमि पर स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य।	167.53	16.80	5,900.00	जो नीलामी में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करता हो और जिसके पास आवश्यक यंत्र–संयंत्र उपलब्ध हो।	30 दिन
2	श्रम विभाग, गोरखपुर कार्यालय की भूमि पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य।	12.00	1.20	1,180.00		
3	रोजगार कार्यालय परिसर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य।	26.32	2.65	2,360.00		

ई–नीलामी की शर्ते एवं नियमः

(1) जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के निर्माण में चिन्हित भूमि पर स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों आदि जो उपर्युक्त टेबल पर उल्लिखित है, उसका निरीक्षण ई–नीलामी की

तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(2) ई–नीलामी जहाँ है जैसा है कि आधार पर की जायेगी।

(3) ई–नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को लाट संख्या के अनुसार जमानत धनराशि आनलाईन जमा करनी होगी। यह धनराशि दिनांक 16/01/2026 को अपरान्ह 4.30 बजे तक पोटल के माध्यम से जमा करके आनलाईन ई–नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है।

(4) उच्चतम बोलीदाता को नीलामी बोली की 25% धनराशि (GST अतिरिक्त) जमा करना होगा, तथा शेष 75% धनराशि GST सहित सात दिन के अन्दर जमा करना होगा। तदोपरान्त ही भवन को ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। अधिकतम बोलीदाता द्वारा अगर निर्देशानुसार धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और द्वितीय अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा।

(5) जमानत धनराशि को नीलामी की शर्तानुसार कार्य स्थल को पूर्ण रूप से साफ करने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। यदि बोलीदाता द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसकी जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा इनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

(6) ई–नीलामी की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त भी की जा सकती है।

(7) ई–नीलामी मूल्य पर नियमानुसार अलग से टैक्स देय होगा। स्वीकृति के उपरान्ह समस्त सामग्री को जहाँ है जैसा है के आधार पर सम्पूर्ण धनराशि (टैक्स सहित) जमा करने के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में नीलामी मूल्य का 5% प्रति दिन की दर से अधिभार लगाया जायेगा, किन्तु निर्धारित समय के उपरान्त अतिरिक्त समयवृद्धि अधिकतम 10 दिन की होगी, तत्पश्चात् अवशेष सामग्री जब्त कर ली जायेगी।

(8) उच्चतम बोलीदाता को नीलामी स्वीकृति के उपरान्त नीलामी में सम्मिलित भवनों को ध्वस्त करने से पहले इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखना होगा कि समीप की अन्य संरचनाओं, यथा बिजली, तार एवं सीवर लाइन आदि को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, तथा मलवा निस्तारित करने की प्रक्रिया से आस–पास के कोई भी क्रिया–क्लाप बाधित न हो।

(9) मण्डलीय कार्यालय स्थल के भवनों पर पेन्ट से लाट संख्या लिखा रहेगा, उसके अतिरिक्त उच्चतम नीलामीदाता (जिसके पक्ष में ध्वस्तीकरण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई हो) द्वारा कोई भवन क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।

(10) नीलामी के निस्तारण का अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का होगा, एवं विवाद की दशा में इनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(11) ई–नीलामी की न्यूनतम बोली (विभाग द्वारा जैसा कि तालिका के कॉलम–3 में निर्धारित है) से प्रारम्भ होगी।

(12) ई–नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित अभिलेख दिनांक 16/01/2026 को अपरान्ह 4.30 बजे तक आनलाईन जमा करना होगा।

(क) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

(ख) जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

(ग) पैनकार्ड की प्रमाणित प्रति।

(घ) आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

(ङ) आयकर कलीयरेन्स का प्रमाण–पत्र।

(च) कम से कम दो जे0सी0बी0 एवं चार ट्रक (अच्छी दशा में) के स्वमित्व अथवा किराये पर उपलब्ध कराने का शपथ–पत्र रू0–100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जायेगा।

(13) आनलाईन पंजीकरण के पश्चात् समस्त नीलामी प्रपत्र दिनांक 16/01/2026 के अपरान्ह 4.30 बजे तक जिसमें क्रमांक–12 पर अंकित सभी अभिलेख एवं जमानत धनराशि की रसीद प्राधिकरण कार्यालय के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा कराना होगा।

(14) दिनांक 14/01/2026 को इच्छुक व्यक्तियों से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में ***प्री–बिड़ मिटिंग*** की जायेगी, जिसमें नीलामीदाता की समस्त जिज्ञासाओं का निराकरण किया जायेगा।

(15) भवन ध्वस्तीकरण हेतु किसी विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(16) भवन ध्वस्तीकरण एवं मलवे के निस्तारण में स्थानीय समस्त नियम व व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। इसके दौरान यदि किसी सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति को क्षति होती है तो उसका निर्माण/क्षतिपूर्ति नीलामीदाता को स्वयं करना होगा।

(17) यदि भवन ध्वस्तीकरण के दौरान कोई खजाना अथवा बहुमूल्य सामग्री निकलती है तो उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को तत्काल इसकी सूचना देना होगा, एवं उनके निर्देशानुसार उसे जमा करना होगा।

(18) नियमानुसार लेवर सेस देय होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।